

8/4
25

पत्रावली चेशा प्राची व वकीलप्राची को बाव-2
आवाज लगाई गई बाव-बाक आवाज लगाने के
बावजूद भी प्राची व वकील प्राची न्यायालय में
हाजिर नहीं आयी अतः प्राची का पार्षना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 भाग अदर टाजरी अदर
पैरकी में जाजि किया जा रहा है पत्रावली को सब
शुमार होकर मम्बड के कम होकर दायिप दप्त है।

सपखण्ड अधिकारी, दांतारासगढ